



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012022-232838
CG-DL-E-24012022-232838

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]
No. 38]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2022/माघ 4, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 2022/ MAGHA 4, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2022

सं. 3/2022 - सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 38 (अ).—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “पीवीसी फ्लेक्स फिल्म”, जो कि उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय 39 के अंतर्गत आता है, पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को वापस लेती है और एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 42/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 8 अगस्त, 2016, जिसे सा.का.नि. 776(अ) दिनांक 8 अगस्त, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गयी अथवा न की गयी बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[फा. सं.सीबीआईसी-190354/1/2022-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 42/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 8 अगस्त, 2016 को सा.का.नि 776(अ) दिनांक 8 अगस्त, 2016 के तहत प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्या 38/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 30 जून, 2021 जिसे सा.का.नि. 456(अ), दिनांक 30 जून, 2021 के तहत अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th January, 2022

No. 3/2022-Customs (ADD)

G.S.R. 38 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government revokes the anti-dumping duty imposed on “PVC Flex Films”, falling under Chapter 39 of the First Schedule to the said Act, originating in or exported from China PR and imported into India and hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 42/2016-Customs(ADD) dated the 8th August, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 776(E), dated the 8th August, 2016, except as respect things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. CBIC-190354/1/2022-TRU Section-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 42/2016-Customs (ADD) dated the 8th August, 2016 was published *vide* number G.S.R. 776 (E), dated the 8th August, 2016 and last amended by notification No. 38/2021-Customs (ADD) dated the 30th June, 2021 published *vide* number G.S.R. 456(E), dated the 30th June, 2021.